# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0196 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/07/2026 16:51 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 61(2) |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 24/02/2026

**Time Period (समय अवधि):** पहर 4 **Time From (समय से):** 11:05 बजे **Time To (समय तक):** 09:04 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/07/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/07/2026 16:51:09 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 125 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** POLICE THANA, MOTHPUR JILA BARAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): PATDABAI

(b) Husband's Name (पति का नाम): LATE. JAGDISH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1981 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | BAMBOLIYA JAGEER, ANTA, BARAN, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | BAMBOLIYA JAGEER, ANTA, BARAN, RAJASTHAN, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVKARAN | | पिता:AANANDI LAL | 1. GOPALPURA POST SAVANBHADO,KANWAS,KOTA RURAL,RAJASTHAN,INDIA |
| 2 | KULDEEP MEENA | | पिता:MANGILAL MEENA | 1. KOTRI POST PATEDA,BARAN,RAJASTHAN,I |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | रिश्वत की मांग | 20,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, हालात इस प्रकार है कि दिनांक 23.02.2026 समय 11.05 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास एसीबी के पूर्व प्रकरण के परिवादी श्री छैलबिहारी नागर, का कॉल आया तथा उसने बताया कि मेरे पास परिवादिया पतडा बाई बैठी हुई हैं, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कुछ समय में वापस कॉल करने के लिए बोला तथा समय 11.18 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने छैलबिहारी नागर को कॉल किया तो छैलबिहारी नागर ने बताया कि परिवादिया पतडा बाई के लडके रघुवीर को थाना मोठपुर का थानाधिकारी देवकरण चैधरी, कुलदीप कानि. व स्टाफ, एक लडकी के चक्कर में जबरदस्ती पकडकर थाने पर ले आये तथा पिछले चार दिन से थाने पर बैठा रखा है, इनके समाज में आपसी राजीनामा हो चुका है, फिर भी कल दिनांक 22.02.2026 को परिवादिया थाने पर गई तो थानाधिकारी ने दिनभर उसको थाने पर बैठाये रखा तथा सायंकाल को उसके लडके से मिलाया तथा फिर कहा कि तुम (समाज में लडकी को नाते लाने का झगडा) राजीनामा कर लोगे तो क्या हुआ लडका तो मेरे पास हैं, इसको मैं जब ही छोडूंगा जब तुम मुझे 50,000 रू. लाकर दोगे, थानाधिकारी जी को पतडा बाई ने एक दो दिन में व्यवस्था करके पैसे लेकर आने के लिए बोला है। परिवादिया अपने पुत्र को छुडाने की एवज में रिश्वत नहीं देना चाहती तथा थानाधिकारी देवकरण चैधरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहती है, इसकी बहन यहां मेरे पास मजदूरी का कार्य करती है जिससे बात होने के बाद ये इनके गांव बम्बोलिया जागीर जिला बारां से इसके गांव के लडके साबुलाल माली के साथ मोटरसाईकिल से मेरे पास मेरे गांव बढोरा में मेरे फार्म हाऊस आई है, ये कोटा आने में असमर्थ हैं, इसलिए आप कार्यालय से टेप रिकार्डर देकर किसी को भेज दो, मैं उनको इसका प्रार्थनापत्र दिलवा दूंगा तथा सत्यापन करवाने में सहयोग कर दूंगा। श्री छैलबिहारी द्वारा बताये हालात के अनुसार मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय में कार्यरत श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 को अपने कक्ष में बुलाकर छैलबिहारी से हुई वार्ता से अवगत कराया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया जाकर सुपुर्द किया, डिजीटल वायॅस रिकार्डर की फर्द सुपुर्दगी पृथक से बनाकर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 एवं श्री बृजराज सिंह है.कानि. 144 के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई तथा श्री नरेन्द्र सिंह को श्री छैलबिहारी के मोबाईल नम्बर दिये जाकर हिदायत की गई कि श्री छैलबिहारी से सम्पर्क कर उनके बताये स्थान पर पहुंचे तथा परिवादिया पतडा बाई से शिकायत प्राप्त कर डिजीटल वायस रिकार्डर को चालू व बंद करने व रिकार्ड करने की विधि समझाएं तथा डिजीटल वायस रिकार्डर सुपुर्द कर रिश्वत मांग के सत्यापन के लिए थानाधिकारी के पास भेजें तथा बाद सत्यापन हालात बताएं। रात्री को 08.20 पी.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 का मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास वाट्सएप कॉल आया तथा मुझे बताया कि मैं कोटा से प्राईवेट वाहन कार से रवाना होकर करीबन 3.00 बजे श्री छैलबिहारी जी के फार्म हाऊस बढोरा पहुंच गया था, यंहा पर उन्होने परिवादिया श्रीमती पतडा बाई एवं उनके साथ आये हुये लडके श्री साबुलाल माली से मेरा परिचय करवाया तत्पश्चात श्रीमती पतडा बाई द्वारा श्री छैलबिहारी से लिखवाये गये शिकायती प्रार्थना-पत्र को मुझे सुपुर्द किया, मैने प्रार्थना पत्र को पढा जो इस प्रकार है- “प्रार्थिया ग्राम बम्बोलिया जागीर की विधवा महिला हैं जिसके चार पुत्र हैं जिनमें से सबसें छोटा लडका रघुवीर जो गुडा गांव, जिला बून्दी में नौकर लग रहा हैं। उसकी जान पहचान बडौरा के शम्भु कालबेलिया की लडकी आशा से हो गई थी जो इससे पहले भी तीन बार अपने घर से भागकर मेरे लडके के पास आ गई, जिसको हमने समाज में बात करके लडकी तो वापस उसके बाप को संभला दिया, अभी लडकी फिर से भागकर मेरे लडके रघुवीर के पास चली गई, जिसकी भागने की रिपोर्ट उसके बाप ने थाना मोठपुर जिला बारां में लिखवा दी, थाना मोठपुर का थानाधिकारी देवकरण चैधरी, कुलदीप कानि. व स्टाफ मेरे लडके रघुवीर को जबरदस्ती पकडकर थाने पर ले आये तथा पीछले चार दिन से थाने पर बैठा रखा है, हमने समाज में आपसी राजीनामा कर लिया हैं, फिर भी कल दिनांक 22.02.2026 को मैं हमारे गावं के साबुलाल के साथ थाने पर गई तो थानाधिकारी ने दिनभर हमको थाने पर बैठाये रखा तथा सायंकाल को मुझे मेरे लडके से मिलाया तथा फिर कहा कि तुम (समाज में लडकी को नाते लाने का झगडा) राजीनामा कर लोगे तो क्या हुआ लडका तो मेरे पास हैं, इसको मैं जब ही छोडूंगा जब तुम मुझे 50,000 रू. लाकर दोगे, थानाधिकारी जी को मैने एक दो दिन में व्यवस्था करके पैसे लेकर आने के लिए बोला हैं। मैं थानाधिकारी देवकरण चैधरी को रिश्वत के 50,000 रू. नहीं देना चाहती तथा थानाधिकारी देवकरण को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहती हूं,

थाने पर बात करने के लिए मैं अपने साथ साबुलाल को लेकर जाऊंगी क्योंकि ये मेरे साथ  हमेशा ही थाने पर गया हैं तथा पुलिस वाले इससे ही बात करते है।" प्रार्थना पत्र के क्रम मे मैने परिवादिया पतडा बाई से सत्यापन के लिए थाने पर जाकर थानाधिकारी से बात कर रिकार्ड करने के लिए कहा तो परिवादिया पतडा बाई ने बताया कि मैं थाने पर इससे पूर्व भी कई बार गई थी तथा मेरे साथ  हमेशा ये मेरे गांव का लडका साबुलाल जाता हैं तथा थानाधिकारी व थाने का स्टाफ इससे अच्छी तरह से बात करता हैं, अतः मेरे साथ सत्यापन के लिए ये साबुलाल जायेगा तथा रिकार्डर भी आप इसके पास ही रख दो, इस पर मैने रिकार्डर को चालू व बन्द करने तथा रिकार्ड करने की विधि साबुलाल को समझाई तथा उनको रिकार्डर सुपुर्द कर साबुलाल व परिवादिया को साबुलाल की मोटरसाईकिल से थाना मोठपुर के लिए रवाना किया तथा मन है.कानि. व छैलबिहारी जी प्राईवेट वाहन से उनके पीछे-पीछे रवाना हुए थाना मोठपुर से कुछ दूर पहले परिवादिया व साबुलाल रूके हुये मिले जिनसे रिकार्डर चालु करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड करने हेतु थाना मोठपुर के लिए रवाना किया था, कुछ समय में ही साबुलाल का छैलबिहारी जी के पास कॉल आया तथा उसने बताया कि अभी थाने पर थानाधिकारी नहीं हैं तथा उनसे मोबाईल पर बात की तो उन्होने एक घण्टे के बाद थाने पर आने लिए कहा जिस पर परिवादिया एवं सहपरिवादी साबुलाल थाने से वापस आये तथा रिकार्डर मन है.कानि. को सुपुर्द किया, इसके कुछ समय बाद फिर से साबुलाल ने थानाधिकारी से बात की तो थानाधिकारी ने कहा कि मुझे आने में लेट हो जायेगा तू थाने पर जाकर कुलदीप से मिल लेना, परिवादिया को थानाधिकारी से ही बात करनी थी इसलिए हम सभी वहां से रवाना होकर वापस बढौरा आ गये हैं तथा रिश्वत मांग के क्रम में कल दिनांक 24.02.2026 को प्रातः वापस थाने पर जायेंगे। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री नरेन्द्र सिंह को परिवादिया के प्रार्थना पत्र को सुरक्षित रखने तथा दिनांक 24.02.2026 को परिवादिया व सहपरिवादी साबुलाल से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने के निर्देश दिये।  दिनांक 24.02.2026 समय 12.08 पी.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 का मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास कॉल आया तथा मुझे बताया कि आज सुबह 8.50 ए.एम. पर रिकार्डर साबुलाल को सुपुर्द कर साबुलाल व परिवादिया को मोटरसाईकिल से थाना मोठपुर के लिए रवाना किया तथा मन है.कानि. व छैलबिहारी जी प्राईवेट वाहन से उनके पीछे पीछे रवाना हुए, थाना मोठपुर से कुछ दूर पहले परिवादिया व साबुलाल रूके हुये मिले जिनसे रिकार्डर चालू करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड करने हेतु थाना मोठपुर के लिए रवाना किया था जो करीबन एक घण्टे बाद थाने से वापस आये तथा मुझे परिवादिया ने बताया कि हमारी थानाधिकारी देवकरण जी सें दिनांक 22.02.2026 को हुई बातचीत के अनुसार मैने उनको कहा कि आपने पचास हजार रू. की कही थी जो मेरे सें नहीं हो पाई हैं मैं बीस हजार रू. की ही व्यवस्था कर पाई हूं जो लेकर आई हूं, जिस पर देवकरण जी ने कहा था कि यंहा पर केमरे लग रहे हैं तथा मुंह पर उंगली लगाकर चुप रहने का इशारा करके बैठाया तथा हमसें कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, लडकी के बयान तुम्हारे पक्ष में करवा दिये हैं तथा कल तुम्हारे लडके को पेश  कर देंगे जिसकी जमानत हो जायेगी फिर तुम्हारी काउसंलिंग करवाकर लडकी तुम ले जाना तुम्हारे तथा फिर हमने पैसों के लिए इशारा किया तो उन्होने कुलदीप कानि. को फोन कर उनके कक्ष में बुलाया तथा हमको बाहर भेज दिया तथा कुछ समय में कुलदीप ने उनके कक्ष से बाहर आकर पूछा कि ले आया क्या, जिस पर साबुलाल ने कहा था कि पचास की बोला था बीस हजार रू. हुये हैं, तब कुलदीप ने कहा कि पच्चीस तो करो, तब साबुलाल ने कहा कि जैसे तैसे करके बीस हजार की व्यवस्था हुई हैं तथा मैने भी कहा कि जेवर गिरवी रखकर व्यवस्था करके लाई हूं जिस पर कुलदीप साबुलाल को एक कमरे में लेकर गया तथा उससे कहा कि पूरे है ंना तब साबुलाल ने कहा हां बीस हैं तथा उसके बाद साबुलाल से 20,000 रू. लेकर रख लिये तथा कहा कि कल बांरा मिल जाना तुम्हारा काम वहीं करवा देंगे। मैने इनको कहा कि उसने तुमसें बाकी के पैसे लेने के लिए नहीं बुलाया हैं इसलिए इससे ट्रेप कार्यवाही नहीं हो पायेगी इस पर परिवादिया एवं साबुलाल ने कहा कि ये कल रघुवीर को बारां पेश करने आयेंगे तब ये बाकी कीरिश्वत की मांग करेंगे तो मै आपको बता दूंगी, आप आ जाना।  इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री नरेन्द्र सिंह को परिवादिया के प्रार्थना पत्र एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित एसीबी चौकी कोटा लेकर आने के निर्देश दिये। समय 4.00 पी.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 एसीबी चौकी कोटा उपस्थित हुआ तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हालात बताकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड व परिवादिया का प्रार्थना पेश कर बताया कि परिवादिया के प्रकरण में ट्रेप कार्यवाही अभी संभव नह्ंी होने से परिवादिया व सहपरिवादी साबुलाल अभी मेरे साथ चौकी हाजा उपस्थित नहीं हुये हैं, इसलिए मैं उनको बढौरा ही छोडकर चौकी हाजा उपस्थित आया हूं। श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर चलाकर सुना तो श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा जरिये मोबाईल बताये गये हालात की पुष्टि हुई, चूंकि दौराने रिश्वत मांग सत्यापन, आरोपीगण देवकरण व कुलदीप द्वारा रिश्वत की मांगकर 20,000 रू. प्राप्त कर लिये हैं तथा शेष रकम के संबंध में अभी सत्यापन नहीं हुआ हैं अतः अग्रिम कार्यवाही आईन्दा की जावेगी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर की फर्द प्राप्ति बनाकर संबंधितों के हस्ताक्षर कवाकर फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं परिवादिया के प्रार्थना पत्र को शामिल फाईल किया गया। अवकाश दिवस दिनांक 28.02.2026 समय 12.55 पी.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये वाट्सएप कॉल बताया कि अभी कुछ समय पहले मेरी साबुलाल से बात हुई थी उसने बताया हैं कि दिनांक 25.02.2026 को थानाधिकारी देवकरण जी ने रघुवीर को बारां अदालत मे पेश  करके रिमाण्ड ले लिया तथा फिर दो दिन बाद फिर से पेश

करके जेल भेज दिया, हमने कुलदीप व थानाधिकारी देवकरण जी से बात करनी चाही तो उन्होने हमसें कोई बात नहीं की, जिस पर श्री नरेन्द्र सिंह को साबुलाल को परिवादिया के साथ इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु चौकी हाजा पर उपस्थित होने की सूचना देने हेतु निर्देशित किया। दिनांक 12.03.2026 समय 10.40 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. ने जरिये वाट्सएप कॉल करके बताया कि अभी कुछ समय पहले मेरे पास श्री छैलबिहारी नागर का फोन आया तथा उसने बताया कि आपके पास कल दिनांक 13.03.2026 को प्रातः परिवादिया पतडा बाई व सहपरिवादी श्री साबुलाल आयेंगे, जिससें प्रकरण में आगे की कार्यवाही करना। चूंकि प्रकरण में अब ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं हैं अतः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आज अवकाष पर होने के कारण श्री अनीष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को कल दिनांक 13.03.2026 को होने वाली कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह पाबन्द करवाने के लिए जरिये मोबाईल निर्देश दिये गये। दिनांक 13.03.2026 समय 1.20 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चौकी हाजा उपस्थित आया तो पूर्व से पाबंदशुदा गवाहान- श्री शेर सिंह पुत्र श्री मोटाराम मीणा जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी- गांव बन्धा पोस्ट लोरवाडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल मकान. ंन.ं 927, केषवपुरा सेक्टर-7, कोटा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय, उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, मो0न0 व श्री हनुमान मालव पुत्र श्री अमरलाल मालव जाति धाकड उम्र 29 साल निवासी- बैंक ऑफ इण्डिया बैंक के पास, मानसगांव, तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय, उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, मो0न0 व परिवादिया श्रीमती पतडा बाई व सहपरिवादी श्री साबुलाल निवासीगण बम्बूलिया जागीर उपस्थित मिले। समय 1.30 पी.एम. पर परिवादिया पतडा बाई ने परिवादिया की तरफ से श्री छैलबिहारी के हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया जो इस आषय का है- सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। विषयः- रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत दिये गये प्रार्थना पत्र में अग्रिम कार्यवाही किये जाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन हैं की प्रार्थिया ने दिनांक 23.02.2026 को थानाधिकारी थाना मोठपुर देवकरण चैधरी को रिश्वत लेते हुये पकडवाने बाबत प्रार्थना पत्र श्रीमान को संबोधित करते हुये श्री छैलबिहारी जी के फार्म पर श्री नरेन्द्र सिंह जी को दिया था, तथा उसके बाद रिश्वत के मांग के सत्यापन के लिए टेप रिकॉर्डर लेकर मैं तथा साबुलाल थाने पर गये थे, वंहा पर मालूम हुआ कि थानाधिकारी देवकरण जी थाने पर मौजूद नहीं हैं उनसे मोबाईल पर बात की तो उन्होने एक घण्टे के बाद थाने पर आने लिए कहा तथा एक घण्टे बाद फिर से साबुलाल ने बात की तो थानाधिकारी ने कहा कि मुझे आने में लेट हो जायेगा तू थाने पर जाकर कुलदीप से मिल लेना, मुझे थानाधिकारी से ही बात करनी थी इसलिए हम दोनों दिनांक 24.02.2026 को प्रातः वापस थाने पर गये जंहा पर हमारी थानाधिकारी देवकरण जी सें दिनांक 22.02.2026 को हुई बातचीत के अनुसार मैने उनको कहा कि आपने पचास हजार रू. की कही थी जो मेरे सें नहीं हो पाई हैं मैं बीस हजार रू. की ही व्यवस्था हुई हैं जो लेकर आई हूं, जिस पर देवकरण जी ने कहा था कि यंहा पर केमरे लग रहे हैं तथा मुंह पर उंगली लगाकर चुप रहने का इशारा करके बैठाया तथा हमसें कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, लडकी के बयान तुम्हारे पक्ष में करवा दिये हैं तथा कल तुम्हारे लडके को पेश कर देंगे जिसकी जमानत हो जायेगी फिर तुम्हारी काउसंलिंग करवाकर लडकी तुम ले जाना तुम्हारे तथा फिर हमने पैसों के लिए इशारा किया तो उन्होने कुलदीप कानि. को फोन कर उनके कक्ष में बुलाया तथा हमको बाहर भेज दिया तथा कुछ समय में कुलदीप ने उनके कक्ष से बाहर आकर पूछा कि ले आया क्या, जिस पर साबुलाल ने कहा था कि पचास की बोला था बीस हजार रू. हुये हैं, तब कुलदीप ने कहा कि पच्चीस तो करो, तब साबुलाल ने कहा कि जैसे तैसे करके बीस हजार की व्यवस्था हुई हैं तथा मैने भी कहा कि जेवर गिरवी रखकर व्यवस्था करके लाई हूं जिस पर कुलदीप साबुलाल को एक कमरे में लेकर गया तथा उससे कहा कि पूरे है ना तब साबुलाल ने कहा हां बीस हैं तथा उसके बाद साबुलाल से 20,000 रू. लेकर रख लिये तथा कहा कि कल बांरा मिल जाना तुम्हारा काम वंही करवा देंगे। चूंकि देवकरण द्वारा हमसें एक दिन पहले 50,000 रू. देने पर ही लडके को छोडने के लिए बोला था इसलिए रिश्वत के मांग के सत्यापन के दौरान हमने उसको बीस हजार रू. की व्यवस्था होने के लिए बोला ताकि बाकी के तीस हजार रू. के लिए वो बाद में देने के लिए बोलेगा किन्तु कुलदीप ने बीस हजार रू. लेकर बाकी के रिश्वत राषि के लिए कुछ नहीं बोला तथा दूसरे दिन मेरे लडके को बारां अदालत मे पेश करके रिमाण्ड ले लिया था फिर दो दिन बाद फिर से पेश करके जेल भेज दिया, हमने कुलदीप व थानाधिकारी देवकरण जी से बात करनी चाही तो उन्होने हमसें कोई बात नहीं कि। मेरे द्वारा देवकरण कोरिश्वत लेते हुये पकडवाने के प्रार्थना पत्र के क्रम में रिश्वत मांग का सत्यापन हो गया हैं, किन्तु मेरे द्वारा 20 बीस हजार रू. की व्यवस्था होने की कहने से आरोपीगण 20,000 रू. लेकर ही संतुष्ट हो गये तथा शेष रकम देने के लिए नहीं कहा अतःरिश्वत लेते हुए पकडने की कार्यवाही नहीं हो सकी हैं, अतः अब तक हुई कार्यवाही से मेरे प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थीया पतडा बाई पत्नी स्व. श्री जगदीश, जाति कालबेलिया निवासी बम्बोलिया जागीर थाना अन्ता जिला बारां। प्रार्थना पत्र में अंकित हैं कि देवकरण चैधरी द्वारा परिवादिया से एक दिन पहले 50,000 रू. देने पर ही लडके को छोडने के लिए बोला था इसलिए रिश्वत के मांग के सत्यापन के दौरान परिवादिया एवं सहपरिवादी ने उसको बीस हजार रू. के व्यवस्था होने के लिए बोला ताकि बाकी के तीस हजार रू. के लिए वो बाद में देने के लिए बोलेगा, किन्तु कुलदीप ने बीस हजार रू. लेकर बाकी के रिश्वत राषि के लिए कुछ नहीं बोला तथा दूसरे दिन परिवादिया के लडके को बारां अदालत मे पेश करके

रिमाण्ड ले लिया फिर दो दिन बाद फिर से पेश करके जेल भेज दिया। परिवादिया एव सहपरिवादी ने कुलदीप व थानाधिकारी देवकरण जी से बात करनी चाही तो उन्होने इनसे कोई बात नहीं की। परिवादिया द्वारा देवकरण को रिश्वत लेते हुये पकडवाने के प्रार्थना पत्र के क्रम में रिश्वत मांग का सत्यापन हो गया हैं, किन्तु उनके द्वारा 20 बीस हजार रू. की व्यवस्था होने की कहने से आरोपीगण 20,000 रू. लेकर शेष रकम देने के लिए नहीं कहा, अतः सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी। अतः प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु उपस्थित गवाहान का परिवादिया व सहपरिवादी से आपसी परिचय करवाया गया तथा पूर्व के हालात व वर्तमान में की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया। समय 2.00 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शेर सिहं एव श्री हनुमान मालव को परिवादिया द्वारा पूर्व में दिनांक 23.02.2026 का रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत दिया गया प्रार्थना पत्र व आज दिनांक 13.03.2026 को दिये गये प्रार्थना पत्र को पढवाया गया तथा दोनों प्रार्थना पत्र पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया । समय 02.20 पी.एम. पर मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन सउनि से मालखाने में रखे डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु दिनांक 23.02.2026 एवं 24.02.2026 को काम में लिये मैमोरी कार्ड को निकलवाया गया, परिवादिया श्रीमती पतडा बाई व सहपरिवादी श्री साबुलाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड दिनांक 23.02.2026 की रिश्वत मांग के संबंध में मिलने के संबंध में हुई वार्ता एवं दिनांक 24.02.2026 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जो परिवादिया पतडा बाई व सहपरिवादी साबुलाल व आरोपी देवकरण थानाधिकारी थाना मोठपुर, व कुलदीप कानिस्टैबल थाना मोठपुर जिला बांरा के मध्य हुई थी, उसके मैमोरी कार्ड सहित डिजिटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप से श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 के द्वारा कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ताओं को परिवादिया व सहपरिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया। दिनांक 24.02.2026 की रिकॉर्ड वार्ता मे से परिवादी व सहपरिवादी ने एक-एक आवाज स्वयं की तथा अन्य आवाज में से आरोपी देवकरण चैधरी थानाधिकारी थाना मोठपुर व श्री कुलदीप कानि. थाना मोठपुर की होना पहचान कर बताया। उक्त रिश्वत मांग के संबंध में मिलने के संबंध में हुई वार्ता एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 द्वारा नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये,तत्पश्चात समय 06.00 पी.एम. पर परिवादिया व सहपरिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 23.02.2026 को रिश्वत मांग के संबंध में मिलने के लिए हुई वार्ता व दिनांक 24.02.2026 को परिवादिया, सहपरिवादी साबुलाल व आरोपीगण श्री देवकरण, थानाधिकारी मोठपुर एव श्री कुलदीप कानि. थाना मोठपुर के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फाईले क्रमष 260223_1644, 260224_0904, जो मैमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकार्ड की गई हैं उक्त वार्ताओं की 2 फाईलों की हैश वेल्यू हैश चैकर एप से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 द्वारा निकालवाई गई तथा श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 के द्वारा उपरोक्त मैमोरी कार्ड से दोनों रिकार्डिंग की फाईलों को लेपटोप में लिवाया जाकर कॉपी पेस्ट कर Sandisk cruzer blade 32 GB के पांच पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेनड्राईव नमूना आवाज के लिये व दो पेनड्राईव आरोपीगणों के लिये कवंर में रखकर पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई तथा मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड फाईलों की हैश वेल्यू निकालकर उसके प्रिन्ट आउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई तथा मूल मेमोरी कार्ड को उसके कवर में रखकर, कपडे की थैली में रखा जाकर सील्ड मोहर किया गया। थैली पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कवर मे अनसील्ड रखकर षामिल पत्रावली किया गया। फर्द डबिंग (कॉपी-पेस्ट) व जब्ती पेन ड्राईव एवं मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित से हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। शील्डशुदा पैकेट केा मालखाना प्रभारी आशिक हुसैन सउनि से मालखाना में जमा करवाया गया, इसके बाद परिवादिया श्रीमती पतडा बाई एवं सहपरिवादी श्री साबुलाल तथा स्वतंत्र गवाहान श्री शेर सिंह व श्री हनुमान मालव, कनिष्ठ सहायक, को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी कोटा से सकुशल रूखसत किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है कि दिनांक 23.02.2026 समय 11.18 ए.एम. पर छैलबिहारी नागर ने बताया कि परिवादिया पतडा बाई के लडके रघुवीर को थाना मोठपुर का थानाधिकारी देवकरण चैधरी, कुलदीप कानि. व स्टाफ, एक लडकी के चक्कर में जबरदस्ती पकडकर थाने पर ले आये तथा पिछले चार दिन से थाने पर बैठा रखा है, इनके समाज में आपसी राजीनामा हो चुका हैं, फिर भी कल दिनांक 22.02.2026 को परिवादिया थाने पर गई तो थानाधिकारी ने दिनभर उसको थाने पर बैठाये रखा तथा सायंकाल को उसके लडके से मिलाया तथा फिर कहा कि तुम (समाज में लडकी को नाते लाने का झगडा) राजीनामा कर लोगे तो क्या हुआ लडका तो मेरे पास हैं, इसको मैं जब ही छोडूंगा जब तुम मुझे 50,000 रू. लाकर दोगे, थानाधिकारी जी को पतडा बाई ने एक दो दिन में व्यवस्था करके पैसे लेकर आने के लिए बोला हैं। परिवादिया अपने पुत्र को छुडाने की एवज में रिश्वत नहीं देना चाहती तथा थानाधिकारी देवकरण को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहती हैं, ये इसके गांव के लडके साबुलाल माली के साथ मोटरसाईकिल से मेरे पास मेरे गांव बडोरा में मेरे फार्म हाऊस आई हैं, ये कोटा आने में असमर्थ हैं, इसलिए आप कार्यालय सें टेप रिकॉर्डर देकर किसी को भेज दो मैं उनको इसका प्रार्थनापत्र दिलवा दूंगा तथा सत्यापन करवाने मे सहयोग कर दूंगा। श्री छैलबिहारी द्वारा बताये हालात के अनुसार

मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय में कार्यरत श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 को अपने कक्ष में बुलाकर छैलबिहारी से हुई वार्ता से अवगत कराया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया जाकर सुपुर्द किया, तथा श्री नरेन्द्र सिंह को श्री छैलबिहारी के मोबाईल नम्बर दिये जाकर रवाना किया, श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 ने वाट्सएप कॉल करके बताया कि परिवादिया एवं सहपरिवादी को रिश्वत मांग वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु थाना मोठपुर के लिए रवाना किया था कुछ समय में ही साबुलाल का छैलबिहारी जी के पास कॉल आया तथा उसने बताया कि अभी थाने पर थानाधिकारी नहीं हैं तथा उनसे मोबाईल पर बात की तो उन्होने एक घण्टे के बाद थाने पर आने लिए कहा जिस पर परिवादिया एवं सहपरिवादी साबुलाल थाने से वापस आये तथा रिकॉर्डर सुपुर्द किया इसके कुछ समय बाद फिर से साबुलाल ने थानाधिकारी से बात की तो थानाधिकारी ने कहा कि मुझे आने में लेट हो जायेगा तू थाने पर जाकर कुलदीप से मिल लेना, परिवादिया को थानाधिकारी से ही बात करनी थी इसलिए परिवादिया, सहपरिवादी व छैलबिहारी सहित सभी वंहा से रवाना होकर वापस बडौरा आ गये हैं तथा रिश्वत मांग के क्रम में कल दिनांक 24.02.2026 को प्रातः वापस थाने पर जायेंगे, इसके बाद दिनांक 24.02.2026 को समय 12.08 पी.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 का मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास कॉल आया तथा बताया कि परिवादिया थानाधिकारी देवकरण जी सें दिनांक 22.02.2026 को हुई बातचीत के अनुसार थानाधिकारी को कहा कि आपने पचास हजार रू. की कही थी जो मेरे सें नहीं हो पाई हैं मैं बीस हजार रू. की ही व्यवस्था कर पाई हूं जो लेकर आई हूं, जिस पर देवकरण ने कहा कि यहां पर केमरे लग रहे हैं तथा मुंह पर उंगली लगाकर चुप रहने का इशारा करके बैठाया तथा परिवादिया एवं सहपरिवादी से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, लडकी के बयान तुम्हारे पक्ष में करवा दिये हैं तथा कल तुम्हारे लडके को पेश कर देंगे जिसकी जमानत हो जायेगी फिर तुम्हारी काउसंलिंग करवाकर लडकी तुम ले जाना तुम्हारे तथा फिर साबुलाल ने पैसों के लिए इशारा किया तो उन्होने कुलदीप कानि. को फोन कर उनके कक्ष में बुलाया तथा परिवादिया एवं सहपरिवादी को बाहर भेज दिया तथा कुछ समय में कुलदीप ने उनके कक्ष से बाहर आकर साबुलाल से पूछा कि ले आया क्या, जिस पर साबुलाल ने कहा था कि पचास की बोला था बीस हजार रू. हुये हैं, तब कुलदीप ने कहा कि पच्चीस तोे करो, तब साबुलाल ने कहा कि जैसे तैसे करके बीस हजार की व्यवस्था हुई हैं तथा मैने भी कहा कि जेवर गिरवी रखकर व्यवस्था करके लाई हूं जिस पर कुलदीप साबुलाल को एक कमरे में लेकर गया तथा उससे कहा कि पूरे है ंना तब साबुलाल ने कहा हां बीस हैं तथा उसके बाद कुलदीप कानि ने साबुलाल से 20,000 रू. लेकर रख लिये तथा कहा कि कल बांरा मिल जाना तुम्हारा काम वंही करवा देंगे, मैने इनको कहा कि उसने तुमसें बाकी के पैसे लेने के लिए नहीं बुलाया हैं इसलिए इससे ट्रेप कार्यवाही नहीं हो पायेगी इस पर परिवादिया एवं साबुलाल ने कहा कि ये कल रघुवीर को बारां पेश करने आयेंगे जब ये बाकी की रिश्वत की मांग करेंगे तो हम आपको बता देंगे आप आ जाना। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री नरेन्द्र सिंह को परिवादिया के प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित एसीबी चौकी कोटा लेकर आने के निर्देश दिये जिस पर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 एसीबी चौकी कोटा उपस्थित हुआ तथा हालात बताकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड व परिवादिया का प्रार्थना पेश कर बताया कि परिवादिया व सहपरिवादी साबुलाल अभी मेरे साथ चौकी हाजा उपस्थित नहीं हुये हैं, इसलिए मैं उनको बडौरा ही छोडकर चौकी हाजा उपस्थित आया हूं, श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त चलाकर सुना तो श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा जरिये मोबाईल बताये गये हालात की पुष्टि हुई। तत्पश्चात दिनांक 13.03.2026 समय 1.20 पी.एम. पर स्वतत्रं गवाहान- श्री शेर सिंह, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय, उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, व श्री हनुमान मालव, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय, उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग के समक्ष परिवादिया श्रीमती पतडा बाई व सहपरिवादी श्री साबुलाल निवासीगण बम्बूलिया जागीर द्वारा श्री छैलबिहारी के हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया था कि- परिवादिया ने दिनांक 23.02.2026 को थानाधिकारी थाना मोठपुर देवकरण चैधरी को रिश्वत लेते हुये पकडवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया था तथा उसके बाद रिश्वत के मांग के सत्यापन के लिए टेप रिकॉर्डर लेकर परिवादिया तथा साबुलाल थाने पर गये थे, वंहा पर मालुम हुआ कि थानाधिकारी देवकरण थाने पर मौजूद नहीं हैं उनसे मोबाईल पर बात की तो उन्होने एक घण्टे के बाद थाने पर आने लिए कहा तथा एक घण्टे बाद फिर से साबुलाल ने बात की तो थानाधिकारी ने कहा कि मुझे आने में लेट हो जायेगा तू थाने पर जाकर कुलदीप से मिल लेना, परिवादिया को थानाधिकारी से ही बात करनी थी इसलिए दोनों दिनांक 24.02.2026 को प्रातः वापस थाने पर गये जंहा पर परिवादिया एवं सहपरिवादी की थानाधिकारी देवकरण सें दिनांक 22.02.2026 को हुई बातचीत के क्रम में परिवादिया ने थानाधिकारी कोे कहा कि आपने पचास हजार रू. की कही थी जो मेरे सें नहीं हो पाई हैं मुझसे बीस हजार रू. की ही व्यवस्था हुई हैं जो लेकर आई हूं, जिस पर देवकरण ने कहा कि यंहा पर केमरे लग रहे हैं तथा मुंह पर उंगली लगाकर चुप रहने का इशारा करके बैठाया तथा परिवादिया एवं सहपरिवादी से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, लडकी के बयान तुम्हारे पक्ष में करवा दिये हैं तथा कल तुम्हारे लडके को पेश कर देंगे जिसकी जमानत हो जायेगी फिर तुम्हारी काउसंलिंग करवाकर लडकी तुम ले जाना तथा फिर सहपरिवादी ने पैसों के लिए इशारा किया तो थानाधिकारी ने कुलदीप कानि. को फोन कर उसके कक्ष में बुलाया तथा परिवादिया एवं सहपरिवादी को बाहर भेज दिया

तथा कुछ समय में कुलदीप ने उनके कक्ष से बाहर आकर सहपरिवदी से पूछा कि ले आया क्या, जिस पर साबुलाल ने कहा कि पचास की बोला था बीस हजार रू. हुये हैं, तब कुलदीप ने कहा कि पच्चीस को करो, तब साबुलाल ने कहा कि जैसे तैसे करके बीस हजार की व्यवस्था हुई हैं तथा परिवादिया ने भी कहा कि जेवर गिरवी रखकर व्यवस्था करके लाई हूं जिस पर कुलदीप साबुलाल को एक कमरे में लेकर गया तथा उससे कहा कि पूरे है ना तब साबुलाल ने कहा हां बीस हैं तथा उसके बाद कुलदीप कानि. ने साबुलाल से 20,000 रू. लेकर रख लिये तथा कहा कि कल बांरा मिल जाना तुम्हारा काम वंही करवा देंगे। चूंकि देवकरण चैधरी द्वारा परिवादिया व सहपरिवादी से एक दिन पहले 50,000 रू. देने पर ही लडके को छोडने के लिए बोला था इसलिए रिश्वत के मांग के सत्यापन के दौरान परिवादिया एवं सहपरिवादी ने उसको बीस हजार रू. के व्यवस्था होने के लिए बोला ताकि बाकी के तीस हजार रू. के लिए वो बाद में देने के लिए बोलेगा किन्तु कुलदीप ने बीस हजार रू. लेकर बाकी के रिश्वत राषि के लिए कुछ नहीं बोला तथा दूसरे दिन परिवादिया के लडके को बारां अदालत मे पेश  करके रिमाण्ड ले लिया था फिर दो दिन बाद फिर से पेश  करके जेल भेज दिया, परिवादिया व सहपरिवादी ने कुलदीप व थानाधिकारी देवकरण से बात करनी चाही तो उन्होने उनसे कोई बात नहीं कि। प्रार्थना पत्र में अंकित हैं कि देवकरण चैधरी द्वारा परिवादिया से एक दिन पहले 50,000 रू. देने पर ही लडके को छोडने के लिए बोला था इसलिए रिश्वत के मांग के सत्यापन के दौरान परिवादिया एवं सहपरिवादी ने उसको बीस हजार रू. के व्यवस्था होने के लिए बोला ताकि बाकी के तीस हजार रू. के लिए वो बाद में देने के लिए बोलेगा, किन्तु कुलदीप ने बीस हजार रू. लेकर बाकी के रिश्वत राषि के लिए कुछ नहीं बोला तथा दूसरे दिन परिवादिया के लडके को बारां अदालत मे पेश करके रिमाण्ड ले लिया फिर दो दिन बाद फिर से पेश करके जेल भेज दिया, परिवादिया एव सहपरिवादी ने कुलदीप व थानाधिकारी देवकरण जी से बात करनी चाही तो उन्होने इनसे कोई बात नहीं की। परिवादिया द्वारा देवकरण को रिश्वत लेते हुये पकडवाने के प्रार्थना पत्र के क्रम में रिश्वत मांग का सत्यापन हो गया हैं, किन्तु उनके द्वारा 20 बीस हजार रू. की व्यवस्था होने की कहने से आरोपीगण ने 20,000 रू. लेकर शेष रकम देने के लिए नहीं कहा अतः सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी, अतः प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही के क्रम में दिनांक 23.02.2026 की रिश्वत मांग के संबंध में मिलने के संबंध में हुई वार्ता एवं दिनांक 24.02.2026 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, नियमानुसार तैयार करवाई, तत्पश्चात परिवादिया व सहपरिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दोनों रिकार्डिंग की फाईलों को लेपटोप में लिवाया जाकर कॉपी पेस्ट कर Sandisk cruzer blade 32 GB के पांच पेन ड्राईव तैयार करवाये गये तथा मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड फाईलों की हैश वेल्यू निकालकर उसके प्रिन्ट आउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई तथा मूल मेमोरी कार्ड को उसके कवर में रखकर, कपडे की थैली में रखा जाकर सील्ड मोहर किया गया। अतः आरोपीगण तेजकरण थानाधिकारी व कुलदीप कानिस्टेबल थाना मोठपुर जिला बारां द्वारा परिवादिया पतडा बाई के पुत्र को छोडने तथा परिवादिया के पक्ष में लडकी के बयान करवाने की एवज में दिनांक 22.02.2026 को 50 हजार रू. की मांग करने पर परिवादिया द्वारा  शिकायत की गई तथा  शिकायत के सत्यापन के दौरान दिनांक 22.02.2026 को थानाधिकारी देवकरण सें हुई बातचीत के अनुसार परिवादिया ने उनको कहा कि आपने पचास हजार रू. की कही थी जो मेरे सें नहीं हो पाई हैं मैं बीस हजार रू. की ही व्यवस्था कर पाई हूं जो लेकर आई हूं, जिस पर देवकरण जी ने कहा कि यंहा पर केमरे लग रहे हैं तथा मुंह पर उंगली लगाकर चुप रहने का इशारा करके बैठाया तथा परिवादिया एवं सहपरिवादी से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, लडकी के बयान तुम्हारे पक्ष में करवा दिये हैं तथा कल तुम्हारे लडके को पेश  कर देंगे जिसकी जमानत हो जायेगी फिर तुम्हारी काउसंलिंग करवाकर लडकी तुम ले जाना तुम्हारे तथा फिर सहपरिवादी ने पैसों के लिए इशारा किया तो थानाधिकारी ने कुलदीप कानि. को फोन कर अपने कक्ष में बुलाया तथा कुछ समय में कुलदीप ने थानाधिकरी के कक्ष से बाहर आकर सहपरिवादी साबुलाल से पूछा कि ले आया क्या, जिस पर साबुलाल ने कहा कि पचास की बोला था बीस हजार रू. हुये हैं, तब कुलदीप ने कहा कि पच्चीस तो े करो, तब साबुलाल ने कहा कि जैसे तैसे करके बीस हजार की व्यवस्था हुई हैं तथा परिवादिया ने भी कहा कि जेवर गिरवी रखकर व्यवस्था करके लाई हूं जिस पर कुलदीप साबुलाल को एक कमरे में लेकर गया तथा उससे कहा कि पूरे है ना तब साबुलाल ने कहा हां बीस हैं तथा उसके बाद साबुलाल से 20,000 रू. लेकर रख लिये तथा कहा कि कल बांरा मिल जाना तुम्हारा काम वंही करवा देंगे, शेष रकम के लिए कुछ नहीं बोला अतः थानाधिकारी द्वारा की जाने वाली रिश्वत मांग के क्रम में रिश्वत की वार्ता होने तथा थानाधिकारी के कहने पर कुलदीप कानि. द्वारा साबुलाल से रिश्वत राषि 20,000 रू. मांग कर प्राप्त करने से आरोपीगण तेजकरण थानाधिकारी थाना मोठपुर जिला बांरा व श्री कुलदीप कानिस्टेबल थाना मोठपुर जिला बांरा के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. का अपराध प्रथम दृष्ट्ा प्रमाणित पाया जाने से दण्डनीय अपराध है। अतः आरोपी 1. देवकरण पुत्र श्री आनन्दीलाल उम्र 54 साल निवासी-ग्राम गोपालपुरा पोस्ट सावनभादौ थाना कनवास जिला कोटा हाल थानाधिकारी थाना मोठपुर जिला बांरा, 2. श्री कुलदीप मीणा पुत्र श्री मांगीलाल मीणा उम्र 31 साल निवासी-गा्रम कोटडी पोस्ट पाटेडा तहसील व जिला बारां हाल कानिस्टेबल नं. 1433 थाना मोठपुर जिला बांरा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन सादर

प्रेषित है।भवदीय(विजय स्वर्णकार)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।.......कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण 1. देवकरण पुत्र श्री आनन्दीलाल उम्र 54 साल निवासी-ग्राम गोपालपुरा पोस्ट सावनभादौ थाना कनवास जिला कोटा हाल थानाधिकारी थाना मोठपुर जिला बांरा, 2. श्री कुलदीप मीणा पुत्र श्री मांगीलाल मीणा उम्र 31 साल निवासी-गा्रम कोटडी पोस्ट पाटेडा तहसील व जिला बारां हाल कानिस्टेबल नं. 1433 थाना मोठपुर जिला बांरा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कालूराम वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 245 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1169-73 दिनांक 14.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बारां 2- महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज, कोटा 3– पुलिस अधीक्षक, जिला बारां 4-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 5- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** KALU RAM VERMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/07/2026 16:54:00

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** GORDHAN LAL SONKARIA

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1972 | | | | |
| 2 | Male | 1995 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)